न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 185/2020
3. उनवान : सरकार जरिये तहसीलदार, शाहपुरा

बनाम

1. मैसर्स एस0 मोहन एण्ड सन्स रिटेल आउट लेट एस्सार ऑयल लिमिटेड ग्राम घासीपुरा तहसील शाहपुरा, जयपुर।
2. श्री पूरणमल यादव पुत्र श्री छोटूराम यादव निवासी ढाणी बिहारीवाल, घासीपुरा तहसील शाहपुरा, जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 10.10.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री मोहन चौधरी अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी तहसीलदार, शाहपुरा, श्री रमेश कुमार चौधरी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 15.09.2011 को एन.एच. नं. 8 पर स्थित पेट्रोल पम्प का औचक निरीक्षण किया। जांच कार्यवाही के दौरान भौतिक सत्यापन एवं पैट्रोल–डीजल के क्रय–विक्रय रिकार्ड जांच करने पर फर्म द्वारा अवैध रुप से डीजल, पैट्रोल का क्रय, भंडारण तथा विक्रय किया जाना पाया गया। अप्रार्थीगण द्वारा पैट्रोल–डीजल का बिना किसी लाईसेंस, परमिशन के भण्डारण व क्रय–विक्रय किये जाने पर संग्रहित 4729 लीटर पेट्रोल व 6541 लीटर डीजल जब्त किया गया। प्रकरण के सन्दर्भ में कोई सन्तोषप्रद जवाब एवं वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, नमूना सैम्पल, एफ.आई.आर. आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत अन्तरिम निस्तारण करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहन चौधरी ने उपस्थिति दी। अप्रार्थीगण/अभिभाषकगण की ओर से आदिनांक तक कोई जवाब पेश नहीं किया गया। तत्पश्चात प्रकरण जवाब/बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 10.10.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 15.09.2011 को जब्त पैट्रोल–डीजल का अप्रार्थीगण द्वारा अवैध भण्डारण व क्रय–विक्रय किया जा रहा था। फर्म द्वारा संधारित स्टॉक रजिस्टर के अनुसार दिनांक 16.07.2011 को 4000 लीटर डीजल के आमद के बाद कुल 6825 लीटर स्टॉक था। वक्त निरीक्षण तक कुल 31089.62 लीटर डीजल की बिक्री फर्म द्वारा की गयी, यानि इस दौरान 24264.62 लीटर डीजल की बिक्री अवैध रुप से फर्म द्वारा की गयी। जिससे प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है कि यह मात्रा कहीं से अवैध रुप से क्रय कर भंडारित कर विक्रय की गयी। पूछताछ के दौरान सेल्समैन ने बताया कि हरियाणा से अवैध रुप से डीजल/पेट्रोल क्रय कर यहां बेचा जाता है। अप्रार्थीगण की ओर से जब्त वस्तुओं की वैधता के संबंध में मौके पर तथा आज तक कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में आज तक कोई क्लेम नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 तथा मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं करने एवं सेल्समैन की पेट्रोल–डीजल की अवैध क्रय–विक्रय की स्वीकारोक्ति पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रार्थी द्वारा जब्त सामान 4729 लीटर पेट्रोल व 6541 लीटर डीजल को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर ग्रामीण को निर्देश दिये जाते हैं कि सम्बन्धित थाने से सम्पर्क कर जब्त वस्तुओं का विधिवत अन्तिम निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)